न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कम–1,जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)**

जमानत प्रार्थना पत्र सं. : 289/26

लोकेन्द्र पण्ड्या पुत्र स्व. दिनकर पण्ड्या, उम्र–58 साल, निवासी टामटीया, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर हाल डिपो मैनेजर राजस्थान राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) डिपो सागवाडा, जिला डूंगरपुर।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक। **.....अप्रार्थी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 द.प्र.सं.) प्र.सू.रि.सं. 10/24 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राज. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री विजेन्द्र यादव, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्रीमती साजिया खान, अपर लोक अभियोजक, राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 04–06–2026**

1 इस आदेश के द्वारा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दं.प्र.सं.) का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 540/2020 में अनुसंधान के दौरान पाया गया कि राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो पूरे राजस्थान में दिनांक 13.09.2021 से 15.09.2021 तक आयोजित की गई, जिसमें जगदीश विश्नोई, यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी व शिवरतन मोट ने स्कूल रविन्द्र बाल भारती के केन्द्राधीक्षक राजेश खण्डेलवाल के साथ मिलकर इस परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लीक करने का आपराधिक षडयंत्र रचा और राजेश खण्डेलवाल ने परीक्षा सम्पादित करने के नाम पर रिकॉर्ड पर यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी की ड्यूटी लगाई। दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को योजना के मुताबिक यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी प्रश्नपत्रों के केन्द्र पर प्राप्ति से पूर्व आचार्य ऑफिस में घुसकर छोटी कोटड़ी में छुप गया। प्रश्नपत्रों को आचार्य ऑफिस में रखे जाकर कमरे को सील करने के पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने पैकेट में चीरा लगाकर पेपर निकालकर

मोबाईल फोन से उसकी फोटो ली तथा पेपर को वापिस पैकेट में रखकर टेप से पैक कर दिया। तत्पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने जरिये व्हाट्सअप जगदीश विश्नोई के पास उसके मोबाईल फोन पर भेज दिया और जगदीश विश्नोई ने यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी के मार्फत राजेश खण्डेलवाल को दस लाख रूपये दिये। जगदीश विश्नोई ने प्रश्नपत्र को हल करने के पश्चात सॉल्वड पेपर को राजस्थान के विभिन्न भागों में मौजूद अपने साइट हैण्डलर्स के व्हाट्सअप के मास्टर ग्रुप पर एक साथ भेज दिया और परीक्षार्थियों को साइट हैण्डलर्स द्वारा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के नजदीक सॉल्वड पेपर को दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को पढ़ाया गया और साइट हैण्डलर्स द्वारा परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ाने के पश्चात परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाया गया। इनके द्वारा पढ़ाये गये अभ्यर्थी 01. नरेश विश्नोई, 02. नारंगी कुमारी विश्नोई, 03. राजेश्वरी, 04. गोपीराम जांगू, 05. श्रवण कुमार विश्नोई, 06. मनोहर विश्नोई, 07. सुरेन्द्र विश्नोई, 08. करणपाल गोदारा, 09. विवेक भाम्बु, 10. एकता कुमारी, 11. रोहिताश्व कुमार व अन्य दर्जनों उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षकगणों में से दर्जनों उप निरीक्षकगण Cheating by impersonation से सफल होने की जानकारी सामने आयी है। इत्यादि.....

3 उक्त पर प्रकरण संख्या 10/2024 धारा 419, 420, 120बी भा.द.सं. व 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का प्रयोग) अधिनियम 1992 व 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह जमानत आवेदन धारा 483 बीएनएसएस के अधीन प्रस्तुत किया गया।

4 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र पूर्व में गिरफ्तार अन्य सह अभियुक्त के कथनों के आधार पर प्रकरण में आरोपी बनाया गया है तथा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य अभियुक्त से अनुसंधान के दौरान पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है और प्रार्थी की गिरफ्तारी के कारणों को दर्शित नहीं किया गया है तथा पूर्व में प्रार्थी के भाई व पुत्र, पुत्री को जून 25 में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत मान. राज. उच्च न्यायालय से

हो चुकी है और पूर्व में प्रस्तुत आरोप–पत्र में प्रार्थी को अभियुक्त नहीं माना गया था और अन्य अभियुक्तगण की भी जमानत हो चुकी है। प्रार्थी से कोई अनुसंधान या बरामदगी शेष नहीं है और प्रकरण के शेष अनुसंधान में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

5 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

6 सुना गया। केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

7 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना जाहिर किया गया है।

8 तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त लोकेन्द्र कुमार पण्ड्या द्वारा अपने भाई कन्दन कुमार पण्ड्या के साथ मिलकर कुन्दन कुमार द्वारा आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से पुलिस उप निरीक्षक भर्तीपरीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा से पूर्व तीनों दिवसों की लिखित परीक्षा में आने वाले प्रश्न–उत्तर प्राप्त कर अपने पुत्र नैतिक पण्ड्या, पुत्री नेहा पण्ड्या व भतीजी रिद्धि पण्ड्या को पढ़ाकर उक्त परीक्षा दिलाना तथा अविधिक तरीके से लिखित परीक्षा उतीर्ण करवाने का धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट के अपराध का अभियोग है।

9 प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं के निर्दोष होने का तर्क दिया गया है, लेकिन जमानत के इस स्तर पर प्रार्थी की ओर से उठाये गये तर्कों पर कोई अनुकूल/प्रतिकूल टिप्पणी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता और न्यायालय के विनम्र मत में जहां तक जमानतीय संबंधी प्रार्थना पत्रों में पूर्व निर्णय के लागू होने का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2006 क्रिमिनल ला. रिपोर्टर (एस.सी.) 839, गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **Orders of bail are not necessarily orders of any precedent value.** इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित न्यायिक दृष्टान्त **2012 (2) क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 1040 बृजराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **The law of precedent is not stricly applicable in case of bail to an accused person. The question of**

bail to each accused has to be considered on the basis of their facts situation- इसी प्रकार माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **Criminal Misc. Bail Application no. 2554 of 2019 Gajendra Singh Vs. State of U.P. Date of Judgement 23.07.2020** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **Bail on sole ground of parity with co-accused, bail cannot be granted in heinous offences.** अन्य अभियुक्तगण के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किये गये हैं।

10 प्रार्थी के विरूद्ध अपने भाई कुन्दन पण्ड्या के साथ मिलकर अपने पुत्र व पुत्री तथा भतीजी के लिये उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नोत्तर परीक्षा पूर्व प्राप्त कर उन्हें पढ़ाकर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कराने का आरोप है। अतः आरोपित अपराध की गम्भीरता व प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रश्न–उत्तर पढ़ाकर अयोग्य अभ्यर्थियों को पुलिस उप निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के तथ्य को देखते हुए व प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

11 निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त लोकेन्द्र पण्ड्या पुत्र स्व. दिनकर पण्ड्या, की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 द.प्र.सं.) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

12 आदेश आज दिनांक 04–06–2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय